

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम रियासत आदि
मु0अ0सं0-511 / 2018
थाना-भोजपुर

22.04.2019

अभियुक्तगण रियासत, दानिश, नक्शे अली व मतलूब की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0-511 / 2017 धारा-323,325,504 भा0दं0सं0 थाना-भोजपुर में प्रस्तुत किया गया है

सुना तथा पत्रावली व अभियोजन आख्या का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण स्वेच्छया आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण रियासत, दानिश, नक्शे अली व मतलूब द्वारा बीस-बीस हजार रु0 के दो-दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का एक-एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा

